अध्याय

7 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

7.1 निष्कर्ष

सेल और आरआईएनएल अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु विभिन्न सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों, चिकित्सा सुविधाओं, निःशुल्क शिक्षा, आदर्श इस्पात गांवों के रूप में विकास हेतु गांवों को अपनाने आदि के द्वारा सामाजिक विकास के कार्य कर रहे थे। यद्यपि सेल पर्याप्त निधियां प्रदान कर रहा था और उसका एक समुचित कार्यान्वयन ढांचा था, तथापि कम्पनी की सीएसआर कार्यकलापों के प्रभावी रूप से निष्पादन हेतु विस्तृत सीएसआर नीति नहीं थी। जबकि आरआईएनएल की एक विस्तृत सीएसआर नीति थी, तथापि उसने उद्दिष्ट बजट का पूरा उपयोग नहीं किया। कम्पनियां सीएसआर कार्यकलापों के लिए प्रदत्त बजट को एक पृथक निधि को अन्तरित नहीं कर रही थी जिसके कारण अव्ययित राशि व्यपगत हो गई। कम्पनियां समाज की अपेक्षाओं के निर्धारण हेतु अपने संयंत्रों की परिधि में कोई आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण नहीं कर रही थी और समाज पर उनके सीएसआर कार्यकलापों के प्रभाव का भी निर्धारण नहीं कर रही थी।

इस्पात निर्माण के पर्यावरण पर विभिन्न प्रभाव हैं। मुख्य प्रभाव ऊर्जा एवं कच्ची सामग्री के प्रयोग से आता है जिसके परिणामस्वरूप कार्बन डायक्साईड का उत्सर्जन होता है। इन दोनों कम्पनियों में ऊर्जा तथा कच्ची सामग्री का उपभोग प्रति टन कच्चे इस्पात के औसत विश्व उपभोग की तुलना में काफी अधिक था। सेल ने ऊर्जा उपभोग में कटौती के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं जबकि आरआईएनएल ऊर्जा के उपभोग में कटौती के लिए नियत लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप दोनों कम्पनियों में औसत सीओ$_2$ उत्सर्जन भी इस्पात संयंत्रों द्वारा टाटा स्टील और विश्व औसत सीओ$_2$ उत्सर्जन की तुलना में अधिक था। इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों द्वारा वृक्षारोपण भी इन कम्पनियों द्वारा उत्सर्जित सीओ$_2$ के अनुरूप नहीं था जो वृक्षारोपण को बढ़ाने की आवश्यकता तथा सीओ$_2$ उत्सर्जन में कटौती के लिए ठोस कदम उठाने को रेखांकित करता है।

कम्पनियों की सुरक्षा नीति थी और वे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान कर रही थी। यद्यपि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हो रही थी, तथापि कम्पनियों ने अपर्याप्त गृहव्यवस्था तथा सुरक्षा उपस्करों के कारण उनके द्वारा नियत "ज़ीरो दुर्घटना" का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया था।

सिफारिशें

कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों का सार नीचे दिया गया है

i. सेल एवं आरआईएनएल द्वारा मुख्य बजट से अलग एक समर्पित सीएसआर निधि का सृजन किया जाए ताकि निधि के व्यपगत होने से बचा जा सके तथा समर्पित निधियों का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

ii. कम्पनियों को सीओ$_2$ उत्सर्जन की कटौती के लिए तथा वृक्षारोपण के लिए विशिष्ट लक्ष्य नियत करने चाहिएं।

iii. केविटी को भरने के लिए छोड़ी गई खानों को लौह-चूर्ण के परिवहन की संभावना की जांच करनी चाहिए।

iv. कर्मचारियों के बीच प्रशिक्षणों, होर्डिंगों तथा फिल्में दिखाने आदि के माध्यम से सुरक्षा तथा चिकित्सा-जांच के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।

v. कम्पनियों को एक विशेष क्षेत्र में सीएसआर कार्यकलाप शुरू करते समय आवश्यकता निर्धारण तथा प्रभाव निर्धारण की प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

(सुनील वर्मा)
उप नियंत्रक -महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक